

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 01, मंगलवार, १९४८-अप्रैल 21, 2026 Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, फरवरी 06, 2026

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1459 :- सां.आ. 156/2026 - नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उप नियम (7) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46-क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4166/21.10.2019 (सां. आं 120/2019) को अधिक्रमित करते हुए, सदस्य पदों के निर्वाचनों हेतु डाक मतपत्रों के जरिए मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :-

1. नियम 46क के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (इनमें से कोर्ड़ नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (इनमें से कोर्ड़ नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (रार्ड टिक) का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (इनमें से कोर्ड़ नहीं) के विकल्प को दिया गया है।
2. एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (इनमें से कोर्ड़ नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।
3. मत रिकार्ड करने के लिये "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (रार्ड टिक) चिन्ह से भिन्न अन्य कोर्ड़ चिन्ह या संकेत या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा।
4. डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् डाक मतपत्र को "क" चिन्हित छोटे लिफाफे (प्ररूप-16-ख) में मतदाता द्वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।
5. "क" चिन्हित लिफाफे में डाक मतपत्र को सुरक्षित कर देने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा पर मतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्तव्यरूढ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर

- का अनुप्रमाणन करायेगा। उक्त अनुप्रमाणन करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करेगा।
6. ऊपर वर्णित अनुप्रमाणन अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किसके पक्ष में मतदान किया गया है।
 7. मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन होने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा और साथ में “क” चिन्हित प्ररूप 16-ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सुरक्षित रखा गया है, को “ख” चिन्हित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16-ग) में बंद कर दिया जायेगा। “ख” चिन्हित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जायेंगे।
 8. ऊपर वर्णित रीति से “ख” चिन्हित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात् इसे संबंधित निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी को या तो डाक द्वारा, या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये।
 9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी किए गए डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है, किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को, जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर पैकेट पर उसमें रखी गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने का दिनांक अंकित कर, अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये।
 10. रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

आज्ञा से,

राजेश वर्मा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।